Date – 20 May 2022

पृथ्वी प्रेक्षण उपग्रह: EOS-02

- केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि EOS (अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट) -02 उपग्रह 2022 की दूसरी तिमाही में लॉन्च किया जाएगा।
- महामारी और लॉकडाउन के परिणामस्वरूप लॉन्च में देरी हुई।
- इससे पहले, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-04 और दो छोटे उपग्रहों (INSPIREsat-1 और INS-2TD) को PSLV (पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल)-C52 रॉकेट द्वारा सफलतापूर्वक इच्छित कक्षा में स्थापित किया गया था।

EOS-02 **सैटेलाइट क्या** है?

- EOS-02 विभिन्न नई तकनीकों के लिए प्रौद्योगिकी प्रदर्शन उपग्रह है जिसमें कृषि, वानिकी, भूविज्ञान, जल विज्ञान, लघु विद्युत इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रतिक्रिया पहिये आदि शामिल हैं और SSLV (लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान) -1 के लिए पेलोड का निर्माण करते हैं।
- एसएसएलवी सबसे छोटा वाहन है जिसका वजन मात्र 110 टन है। इसे एकीकृत होने में केवल 72 घंटे लगेंगे, जबकि एक प्रक्षेपण यान के लिए अभी 70 दिन लगते हैं।
- इसका उद्देश्य छोटे उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षाओं में लॉन्च करने के लिए बाजार को पूरा करना है जो हाल के वर्षों में विकासशील देशों, छोटे उपग्रहों के लिए विश्वविद्यालयों और निजी निगमों की जरूरतों को पूरा करने के लिए उभरा है।

Yojna IAS

EOS श्रृंखला में अन्य उपग्रह कौन से हैं?

EOS-01:

- कृषि, वानिकी और आपदा प्रबंधन सहायता के लिए अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट

EOS-03:

- भूस्थैतिक कक्षा में पहला फुर्तीली पृथ्वी अवलोकन उपग्रह और अनुप्रयोग जिसमें निकट वास्तविक समय इमेजिंग, प्राकृतिक आपदाओं की त्वरित निगरानी, कृषि, वानिकी आदि के लिए वर्णक्रमीय हस्ताक्षर शामिल हैं।

EOS-04:

- रडार इमेजिंग उपग्रह का उद्देश्य कृषि, वानिकी और वृक्षारोपण, मिट्टी की नमी और जल विज्ञान और बाढ़ मानचित्रण जैसे अनुप्रयोगों के लिए सभी मौसम की स्थिति में उच्च गुणवत्ता वाली छवियां प्रदान करना है।

EOS-05:

- भूस्थिर कक्षा में भू प्रेक्षण उपग्रह।

EOS-06:

- अनुप्रयोगों के लिए अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जिसमें समुद्र से संबंधित सेवाएं और संभावित मछली पकड़ने के क्षेत्र के पूर्वानुमान, समुद्र की स्थिति का पूर्वानुमान शामिल हैं।

पृथ्वी अवलोकन उपग्रह क्या हैं?

- पृथ्वी अवलोकन उपग्रह रिमोट सेंसिंग तकनीक से लैस उपग्रह हैं। पृथ्वी अवलोकन पृथ्वी की भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रणालियों के बारे में जानकारी का संग्रह है।
- कई पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों को सूर्य-तुल्यकालिक कक्षा में नियोजित किया गया है।
- इसरो द्वारा लॉन्च किए गए अन्य पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों RESOURCESAT- 2, 2A, CARTOSAT-1, 2, 2A, 2B, RISAT-1 and 2, OCEANSAT-2, Megha-Tropiques, SARAL and SCATSAT-1, INSAT-3DR, 3D, आदि, शामिल हैं।

Yojna IAS

Ravi Singh

एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के साथ ई-श्रम पोर्टल का एकीकरण

- केंद्र सरकार श्रम और रोजगार मंत्रालय के ई-श्रम पोर्टल को 'वन नेशन वन राशन कार्ड'/'वन नेशन वन राशन कार्ड' योजना के साथ एकीकृत करने की प्रक्रिया में है।

जरुरत:

- ई-श्रम पोर्टल पर दर्ज किए गए 'स्थायी पते' के विवरण और मौजूदा स्थान के विवरण की तुलना से 'ई-श्रम' के तहत काम कर रहे प्रवासी कामगारों की पहचान करने में मदद मिलेगी।

'ई-श्रम पोर्टल' के बारे में:

- ई-श्रम पोर्टल को केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा अगस्त 2021 में लॉन्च किया गया था।
- यह असंगठित कामगारों के पंजीकरण के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस है।
- सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकार को असंगठित कामगारों के पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश देने के बाद पोर्टल की शुरुआत की गई।
- इसके तहत, प्रत्येक पंजीकृत श्रमिक को एक पहचान पत्र जारी किया जाएगा, जिसका उपयोग देश भर में सरकार द्वारा घोषित किसी भी लाभ का लाभ उठाने के लिए किया जा सकता है।

'वन नेशन वन राशन कार्ड' के बारे में:

- 'वन नेशन वन राशन कार्ड' (ONORC) योजना का उद्देश्य 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013' के तहत देश में कहीं भी प्रवासी कामगारों और उनके परिवार के सदस्यों को

Yojna IAS

उपलब्ध कराना है। किसी भी उचित मूल्य की दुकान से रियायती दर पर राशन खरीदने की सुविधा प्रदान करना।

- ओएनओआरसी योजना अगस्त, 2019 में शुरू की गई थी।
- **कार्यान्वयन एजेंसी**: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत 'राशन कार्डों की राष्ट्रव्यापी सुवाह्यता विभाग'।
- **पात्रता**: गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) श्रेणी में शामिल कोई भी नागरिक देश भर में इस योजना का लाभ पाने के लिए पात्र है।

Swadeep Kumar

भारतीय प्रधान मंत्री की नेपाल यात्रा

- हाल ही में भारतीय प्रधान मंत्री ने बुद्ध के जन्मस्थान लुंबिनी, नेपाल का दौरा किया है, जहां उन्होंने नेपाल के प्रधान मंत्री के साथ एक बौद्ध विहार के निर्माण की आधारशिला रखी थी, जिसे भारत की सहायता से बनाया जाएगा।
- प्रधान मंत्री ने 2566वें बुद्ध जयंती समारोह में भाग लिया और नेपाल और भारत के बौद्ध विद्वानों और भिक्षुओं की एक सभा को संबोधित किया।
- प्रधानमंत्री ने नेपाल की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता के संरक्षण के लिए उसकी प्रशंसा की और कहा कि भारत-नेपाल संबंध हिमालय की तरह मजबूत और प्राचीन हैं।

यात्रा की मुख्य विशेषताएं:

बौद्ध संस्कृति और विरासत के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र:

- प्रधानमंत्री ने लुंबिनी मठ, नेपाल में भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र के निर्माण की आधारशिला रखी।
- बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक पहलुओं के सार का आनंद लेने के लिए दुनिया भर से तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के स्वागत के लिए केंद्र विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस होगा।

- इसका उद्देश्य दुनिया भर से लुंबिनी आने वाले विद्वानों और बौद्ध तीर्थयात्रियों की सेवा करना है।

जलविद्युत परियोजनाएं:

- दोनों देशों ने 2 मेगावाट (मेगावाट) अरुण-4 जलविद्युत परियोजना के विकास और कार्यान्वयन के लिए सतलुज हाइड्रो-विद्युत निगम (एसजेवीएन) लिमिटेड और नेपाल विद्युत प्राधिकरण (एनईए) के बीच पांच समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
- नेपाल ने भारतीय कंपनियों को नेपाल में पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजना में निवेश करने के लिए भी आमंत्रित किया।

सैटेलाइट कॉम्प्लेक्स की स्थापना:

- भारत ने रूपन्देही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) का एक उपग्रह परिसर स्थापित करने की पेशकश की है और हस्ताक्षर के लिए भारतीय और नेपाली विश्वविद्यालयों के बीच कुछ समझौता ज्ञापन भेजे हैं।

पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना:

- नेपाल में कुछ लंबित परियोजनाएं हैं जैसे पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना, 1996 में नेपाल और भारत के बीच हस्ताक्षरित महाकाली संधि की एक महत्वपूर्ण शाखा और 1,200 मेगावाट (मेगावाट) की अनुमानित क्षमता वाली जलाशय-प्रकार की बिजली परियोजना पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजना पर भी चर्चा हुई।

नेपाल के साथ भारत के पूर्व संबंध:

- 1950 की शांति और मैत्री की भारत-नेपाल संधि दोनों देशों के बीच मौजूद विशेष संबंधों की आधारशिला रही है।
- नेपाल भारत का एक महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है और सदियों से चले आ रहे भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों के कारण हमारी विदेश नीति में भी इसका विशेष महत्व है।
- भारत और नेपाल हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के संदर्भ में समान संबंध साझा करते हैं, उल्लेखनीय है कि बुद्ध का जन्मस्थान लुंबिनी नेपाल में है और उनका निर्वाण स्थान कुशीनगर भारत में स्थित है।
- हाल के वर्षों में नेपाल के साथ भारत के संबंधों में कुछ गिरावट आई है। 2015 में, भारत को नेपाल की संविधान प्रारूपण प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने और फिर एक "अनौपचारिक नाकाबंदी" के लिए दोषी ठहराया गया था, जिसने भारत के खिलाफ व्यापक आक्रोश फैलाया था।
- नेपाल में राजमार्ग, हवाई अड्डे और अन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए वर्ष 2017 में, नेपाल ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) पर हस्ताक्षर किए। बीआरआई को भारत ने खारिज कर दिया था और नेपाल के इस कदम को चीन की तरफ झुकाव के तौर पर देखा जा रहा था।
- वर्ष 2019 में, नेपाल ने कालापानी, लिंपियाधुरा और लिपुलेख और सुस्ता (पश्चिम चंपारण जिला, बिहार) क्षेत्रों को नेपाल के हिस्से के रूप में दावा करते हुए एक नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया।

Yojna IAS

भारत-नेपाल संबंधों में बाधाएं:

क्षेत्रीय विवाद:

- भारत-नेपाल संबंधों में एक बड़ी बाधा कालापानी सीमा विवाद है। इन सीमाओं को अंग्रेजों द्वारा वर्ष 1816 में निर्धारित किया गया था और भारत को वे क्षेत्र विरासत में मिले, जिन पर अंग्रेजों का 1947 तक क्षेत्रीय नियंत्रण था।
- जब भारत-नेपाल सीमा के 98% हिस्से का सीमांकन किया गया, तो यह काम दो क्षेत्रों- सुस्ता और कालापानी में अधूरा रह गया।
- वर्ष 2019 में, नेपाल ने एक नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया और उत्तराखंड में कालापानी, लिंपियाधुरा और लिपुलेख और बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के सुस्ता क्षेत्र पर अपना दावा किया।

शांति और मित्रता की संधि में निहित समस्याएं:

- स्वतंत्र भारत के साथ ब्रिटिश भारत के साथ अपने विशेष संबंधों को जारी रखने और उन्हें भारत के साथ सीमा खोलने और भारत में काम करने की अनुमति देने के उद्देश्य से भारत-नेपाल शांति और मैत्री संधि पर वर्ष 1950 में नेपाल द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे।
- लेकिन वर्तमान में इसे एक असमान संबंध और भारतीय थोपने के रूप में देखा जाता है।
- इसे संशोधित करने और अद्यतन करने का विचार 1990 के दशक के मध्य से संयुक्त वक्तव्यों में दिखाई दे रहा है, लेकिन केवल छिटपुट और भावपूर्ण तरीके से।

विमुद्रीकरण बाधा:

- नवंबर 2016 में, भारत ने विमुद्रीकरण की घोषणा की और उच्च मूल्यवर्ग के करेंसी नोटों (₹1,000 और ₹500) के रूप में 44 ट्रिलियन रुपये वापस ले लिए। इनमें से 15.3 लाख करोड़ रुपये भी नए नोटों के रूप में अर्थव्यवस्था में लौट आए हैं।
- लेकिन इस प्रक्रिया में कई नेपाली नागरिक जो कानूनी रूप से 25,000 रुपये की भारतीय मुद्रा रखने के हकदार थे (यह देखते हुए कि नेपाली रुपया भारतीय रुपये के लिए आंका गया है) इससे वंचित थे।
- नेपाल राष्ट्र बैंक (नेपाल का केंद्रीय बैंक) के पास 7 करोड़ भारतीय रुपये हैं और इसके पास 500 करोड़ रुपये की सार्वजनिक हिस्सेदारी होने का अनुमान है।
- नेपाल राष्ट्र बैंक के पास विमुद्रीकृत बिलों को स्वीकार करने से भारत के इनकार और प्रतिष्ठित व्यक्तियों के समूह (ईपीजी) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की अज्ञात परिणति ने नेपाल में भारत की छवि को मदद नहीं की है।

Swadeep Kumar

Yojna IAS

अनुच्छेद 142

- हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी एजी पेरारिवलन को पूर्ण न्याय करने के लिए अपनी असाधारण शक्तियों का उपयोग करते हुए रिहा करने का आदेश दिया है।

इसकी आवश्यकता:

- कोर्ट ने करीब 30 साल के विस्तारित कारावास पर विचार करने के बाद पेरारीवलन को रिहा करने का आदेश दिया है.
- अपराधी द्वारा क्षमादान प्रस्तुत किए जाने के बाद के लंबे इंतजार और क्षमा याचिका पर निर्णय लेने में राज्यपाल की अनिच्छा के कारण सर्वोच्च न्यायालय को अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करना पड़ा है।

अनुच्छेद 142 के संबंध में:

- 1989 में 'यूनियन कार्बाइड मामले' से लेकर 2019 में अयोध्या राम मंदिर के फैसले तक, सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार संविधान के 'अनुच्छेद 142' के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग किया है।
- अनुच्छेद 142 के तहत, सुप्रीम कोर्ट को पक्षों के बीच 'पूर्ण न्याय' करने की अनूठी शक्ति दी गई है, यानी जब भी स्थापित नियमों और कानूनों के तहत कोई समाधान नहीं होता है, तो अदालत ऐसे मामले में फैसला कर सकती है। मामले के तथ्य। इसके मुताबिक विवाद पर 'अंतिम फैसला' दिया जा सकता है।

संविधान में 'अनुच्छेद 142' को शामिल करने की आवश्यकता संविधान सभा ने क्यों महसूस की?

- संविधान सभा ने संविधान में ऐसे अनुच्छेद को शामिल करने के महत्व पर बल दिया।
- संविधान निर्माताओं का मानना था कि यह प्रावधान 'आवश्यक उपचार प्रदान करने में कानूनी व्यवस्था की प्रतिकूल स्थिति के कारण पीड़ित व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण' है।

yojnaIAS

राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों के बीच अंतर:

- अदालत ने केंद्र की इस दलील को खारिज कर दिया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या की सजा) के तहत किसी मामले में क्षमादान देने का अधिकार केवल 'राष्ट्रपति' के पास है और ऐसे मामले में राज्यपाल को क्षमादान देने का अधिकार है |
- क्योंकि, इस सरकार का तर्क 'अनुच्छेद 161' को "अप्रभावी" घोषित करेगा, जिसके परिणामस्वरूप एक असाधारण स्थिति उत्पन्न होगी जिसमें 70 साल पहले हत्या के मामलों में राज्यपालों द्वारा दी गई क्षमादान को रद्द कर दिया जाएगा।

Swadeep Kumar

Yojna IAS